भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
रोजगार महानिदेशालय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार एवं मार्गदर्शन पुस्तिका

उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर
आई.टी.आई. परिसर, इटकी रोड, हेहल,
राँची-834005 (झारखण्ड)
दूरभाष संख्या - 0651-2952024
E-mail : cgc.ranchi@gmail.com
E-mail : sreo-cgcranchi@gov.in

2. विशेष आशुलिपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम – केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के आशुलिपिक पद जो आरक्षित होते हैं जो आशुलिपिक अभ्यार्थियों के प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण लम्बे समय तक कार्य बाधित रहते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र 11 माह का एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करता है जिसमें अभ्यार्थियों को आशुलिपिक बनाने का सफल प्रयास किया जाता है। अब तक केन्द्र ने 26 वाँ बैच को सफलता पूर्वक प्रशिक्षित कर चुका है। प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति भी दी जाती है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष माह जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है जिन अभ्यार्थियों के माता–पिता की वार्षिक आय रूपये 3 लाख (तीन लाख) से कम है एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2/12 वीं पास एवं उम्र पहली जुलाई को 18-27 वर्ष के बीच हो उनका नामांकन किया जाता है एवं प्रशिक्षण में 1000 (एक हजार) रूपये मात्र छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जाती है एवं प्रशिक्षण सामग्री भी दी जाती है।

3. साधारण प्रशिक्षण कार्यक्रम–टंकण एवं आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम :– इसके अतिरिक्त केन्द्र वर्ष भर आशुलिपिक, टंकण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम केन्द्र परिसर में कुशल अनुदेशक के द्वारा चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। अभ्यार्थियों को प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र का अभ्यास भी कराया जाता है और रिक्तियों की भी जानकारी दी जाती है। इसमें नामांकन प्रतिवर्ष जनवरी एवं जुलाई में की जाती है।

4. कम्प्यूटर प्रशिक्षण :– केन्द्र द्वारा रोजगार के अवसरों को देखते हुए एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चला रहा है। प्रति वर्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसका पाठ्यक्रम NIELIT (DOEACC) के O Level पाठ्यक्रम के स्तर का होता है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण Software एवं Hardware दोनों में ही दिया जाता है जिसके लिए NIELIT (DOEACC) के संपोषित संस्थानों का भी सहयोग लिया जाता है एवं प्रशिक्षण में सफल अभ्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जिससे की वह सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों में नौकरी हेतु आवेदन कर सकता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 1000 (एक हजार) नियमानुसार छात्रवृत्ति भी दी जाती है एवं प्रशिक्षण सामग्रिया भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। O Level साफ्टवेयर का 12 वां बैच एवं O Level हार्डवेयर का 07 वां बैच सफलता पूर्वक प्रशिक्षित हो चुका है। प्रशिक्षण में नामांकन वैसे अभ्यार्थियों का किया जाता है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय रू. 300000/- (तीन लाख) से कम होती है एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 / 12 वीं पास एवं उम्र पहली जुलाई को 18-30 वर्ष के बीच हो। प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर O Level में नामांकन प्रक्रिया मई–जून में शुरू की जाती है। O Level साफ्टवेयर का प्रशिक्षण जुलाई एवं O Level हार्डवेयर का प्रशिक्षण अगस्त से शुरू होता है।

5. बिहार एवं झारखण्ड राज्य के औद्योगिक संस्थान (SISI अब MSME) के सहयोग से लघु उद्योगों हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर झारखण्ड एवं बिहार राज्य में आने वाले रोजगार क्षेत्र के परिवर्तन की पूर्ण जानकारी अभ्यार्थियों को दिया जाता है। केन्द्र द्वारा समय–समय पर झारखण्ड एवं बिहार सरकार से मिलकर रोजगार मेला का आयोजन भी किया जाता है जिससे अभ्यर्थी लाभान्वित हो सकें। अन्य रोजगार संबंधी एवं मार्गदर्शन हेतु केन्द्र के निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें –

उप–क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर

आई.टी.आई. परिसर, इटकी रोड, हेहल,

राँची–834005 (झारखण्ड) दूरभाष संख्या – 0651-2952024

E-mail : cgc.ranchi@gmail.com, sreo-cgcranchi@gov.in

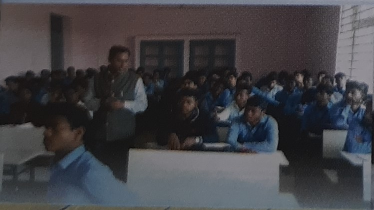

6. साक्षात्कार के तकनीक की जानकारी एवं अभ्यास :– केन्द्र ऐसे बेरोजगार अभ्यार्थियों की भी सहायता करता है जो लिखित प्रतियोगिता में तो सफल हो जाते है मगर साक्षात्कार में असफल होने का भय रहता है । केन्द्र उन्हें साक्षात्कार के तकनीक एवं सफलता की बारीकियों की विस्तृत जानकारी देता है । सिर्फ जानकारी ही नहीं एक कृत्रिम साक्षात्कार समिति का आयोजन का अभ्यास भी कराता है ।

7. स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन करने में सहायक– केन्द्र द्वारा ऐसे बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों की भी सहायता को तत्पर रहता है जिन्होंने अपनी नौकरी की उम्र पार कर ली हो या स्वरोजगार करना चाहते हैं । केन्द्र में विभिन्न व्यवसायों के अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहता है तथा वित्तीय प्रबंधन के लिए लीड बैंकों को आमंत्रित कर सहयता प्रदान करता है ।

II. अनुशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

1. विभिन्न भर्ती प्राधिकारियों के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व अनुशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करना ।
2. विशेष आशुलिपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।
3. साधारण प्रशिक्षण कार्यक्रम–टंकण एवं आशुलिपि एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. कम्प्यूटर प्रशिक्षण (Software & Hardware)
5. औद्योगिक संस्थान (SISI अब MSME) के सहयोग से लघु उद्योग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।

अनुशिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकांशतः Out Sourcing के माध्यम से क्रियान्वित किये जाते हैं ।

National Career Service

Right Opportunities, Right Time

1. विभिन्न भर्ती प्राधिकारियों के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व अनुशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करना ।–

केन्द्र विभिन्न भर्ती प्राधिकारों से सहयोग लेकर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसके अन्तर्गत अभ्यार्थियों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार की जानकारी एवं अभ्यास पूर्ण रूप से हो जाती है जिससे सफलता की संभावना अधिक हो जाती है ।

I. व्यवसायिक मार्गदर्शन संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत

1. व्यक्तिगत सूचना तथा मार्गदर्शन।
2. संयुक्त/समूह में मार्गदर्शन।
3. आत्मविश्वास जागृत करना।
4. पुराने पंजीकृत बेरोजगार उम्मीदवारों की समीक्षा।
5. व्यवसाय/रोजगार संबंधी व्याख्यान माला का आयोजन।
6. साक्षात्कार से तकनीक की जानकारी एवं अभ्यास
7. स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन करने में सहायक होना।

1. व्यक्तिगत सूचना तथा मार्गदर्शन :- केन्द्र में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार युवक/युवतियों को व्यवसाय/रोजगार संबंधी सूचना तथा मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप में एवं पत्राचार से दिया करता है। केन्द्र यह कार्यक्रम समूह में भी अभ्यार्थियों को एकत्र कर कार्यक्रम का आयोजन करता है।

2. संयुक्त/समूह में मार्गदर्शन :- केन्द्र समय-समय पर झारखण्ड एवं बिहार राज्य के बेरोजगार नवयुवक एवं युवतियों को अर्थोपार्जन का रास्ता पाने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर सफल जिन्दगी जी सके एवं आत्मसंतोष पा सके। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन करता है और दुनिया भर में उपलब्ध कैरियर की संभावनाओं एवं आने वाले बदलाओं के साथ रूचि के अनुसार रोजगार चयन के लिए प्रोत्साहित करता है एवं कार्यक्रम आयोजन करता है।

3. आत्मविश्वास जागृत करना :- बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों में रोजगार के प्रति आत्म विश्वास जागृत करने के लिए केन्द्र माह में 4 (चार) कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसके दौरान विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जो अभ्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हैं। साथ ही सफलता की तकनीक की जानकारी देते हैं।

4. पुराने पंजीकृत उम्मीदवारों की समीक्षा :- केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों को केन्द्र में आमंत्रित करते हैं जिन्होने लम्बे समय से अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया है एवं रोजगार पाने में सफल नहीं हो पायें है। उनसे व्यक्तिगत रूप में असफलता के कारणों को जानने की चेष्टा की जाती है तथा कमजोर कड़ियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम में उम्मीदवारों को आने पर यात्रा भत्ता के रूप में 50 रू० (पचास रूपये) का भुगतान बैंक खाते में किया जाता है।

5. व्यवसाय/रोजगार संबंधी व्याख्यान माला का आयोजन - समय समय पर केन्द्र द्वारा बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को एकत्रित:आमंत्रित कर वर्तमान समय के व्यवसाय/रोजगार संबंधित व्याख्यान माला का आयोजन करता है।

6. साक्षात्कार के तकनी
भी सहायता करता
असफल होने का
बारीकियों की विस्
समिति का आयोज

7. स्वरोजगार योजन
नवयुवक/नवयुव
पार कर ली हो या
प्रशिक्षण कार्यक्रम
सहायता प्रदान क

II. अनुशिक्षण एवं प्र
1. विभिन्न भर्ती
पूर्व अनुशिक्ष
2. विशेष आशु
3. साधारण प्र
4. कम्प्यूटर प्र
5. औद्योगिक
कार्यक्रम क
अनुशिक्षण
क्रियान्वित

1. विभिन्न भर्ती
अनुशिक्षण क
केन्द्र विभिन्न
करता है जि
जानकारी ए
जाती है।

संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियाँ मुख्यधारा से पिछड़ते जा रहे हैं। बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए एवं पिछड़ेपन की समस्याओं को करीब से जानने के लिए केन्द्र सरकार ने एलिया परिमल समिति का गठन किया जिसने अपना रिपोर्ट एवं अनुशंसा वर्ष 1969 में प्रस्तुत किया। समिति ने अनुशंसा में कहा कि स्टेट डायरेक्टर रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रोग्राम रोजगारोन्मुख बनायें। 1969-70 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी विश्व रोजगार कार्यक्रम चलाया।

अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार, श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अब रोजगार महानिदेशालय ने 1969-70 में अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर की स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, कानपुर, जबलपुर एवं मद्रास अब चैन्नई में किया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय जिसकी स्थापना पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय के रूप में 1945 में किया गया था जो भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित करता था। बाद में 1948 में रोजगार सेवा को सभी रोजगार चाहने वालों के लिए खोल दिया गया, जिसके अन्तर्गत राज्यों के रोजगार कार्यालय कार्य करने लगे।

अनुसूचित जाति/अनसूचित जन-जाति हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, राँची की स्थापना 1981 में की गयी तथा इसी क्रम में यह भारत के 25 राज्यों में सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। यह केन्द्र बिहार एवं झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु कार्य करता है। रांची के अलावा/अतिरिक्त बिहार या झारखण्ड में इसकी कोई शाखा नहीं है।

केन्द्र के मुख्य उद्देश्य

1. नेशनल कैरियर सर्विस (NCS) के पोर्टल पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेराजगार/अशिक्षित/शिक्षित/प्रशिक्षित/कुशल/अकुशल नवयुवक-नवयुवतियों का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) निःशुल्क कर उनकों सरकारी नौकरी / गैर सरकारी / प्राईवेट / रोजगार / स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है।
2. रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार नवयुवक-नवयुवतियों को उपयुक्त व्यावसायिक दिशा प्रदान करना।
3. अनुशिक्षण, प्रशिक्षण आदि के द्वारा उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना।
4. उन्हें उचित समय पर व्यवसायिक सूचना एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

केन्द्र के उद्देश्यों का सफल रूपान्तरण हो इसके लिए राँची केन्द्र दो प्रकार से कार्य करता है।

(i) व्यवसायिक मार्गदर्शन संबंधित कार्यक्रम।

(ii) अनुशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

I. व्यवसायिक मार्गदर्शन

1. व्यक्तिगत सूचना त
2. संयुक्त/समूह में म
3. आत्मविश्वास जाग
4. पुराने पंजीकृत बेर
5. व्यवसाय/रोजगा
6. साक्षात्कार से तक
7. स्वरोजगार योजन

1. व्यक्तिगत सूचना त
के बेरोजगार युवक
में एवं पत्राचार से
कार्यक्रम का आयो

2. सयुंक्त/समूह में म
नवयुवक एवं युवति
जिन्दगी जी सके
दुनिया भर में उप
रोजगार चयन के

3. आत्मविश्वास ज
विश्वास जागृत क
विभिन्न क्षेत्र के
पहलुओं से अवग

4. पुराने पंजीकृत उ
उम्मीदवारों को
पंजीयन कराया
के कारणों को ज
जाता है। इस क
का भुगतान बैंक

5. व्यवसाय/रोज
नवयुवक/नवयु
व्याख्यान माला

No.NCSC/ RNC/O-level/2022-23/

Government of India/भारत सरकार
Ministry of Labour and Employment
(D.O.E.)
National Career Service Centre for SC/ST
ITI Campus, Hehal, Ranchi-5
cgc.ranchi@gmail.com

National Career Service

Date 05.07.2022

To,

The Director,
NIELIT, Riada Bhawan,
2nd Floor,Main Road
Ranchi-834001

Subject : Distribation of 'O' level Computer Software Coures for section 2022-2023-regarding.

Reference : NIELIT/RNC/TECH/O-level/212/2022/1700 dated 28/06/2022

Sir,

With reference to the above cited subject that as per instruction by DGE HQr. New Delhi and demand of Job Seekers of SC/ST of Dhanbad Dist. The undersigned with supporting staff has visited on dated 01/07/2022 your provided two accreditated Trining Centre i.e. Shree Computer , Thana Chauk, Katrasgarh,Dhanbad-828113 and M/s Smart Age Computer's, 2nd Floor, Anjana Comples, Bartand, Dhanbad -826001. These Coures have suitable for 'O' level Computer Software Trg.for section 2022-2023.

In this connection 40-40 Nos. of seats may be allotted for 'O' level Computer Software Coures for above both Centre and 120 Nos. of seats may be allotted at NIELIT, Ranchi Center.

Thanking you with regards.

Encl: As above.

Yours faithfully,
Ranjit Kumar Mandal 05.7.2022.
(Dr. Ranjit Kumar Mandal)
Sub-Regional Employment Officer

Sub-Regional Employment Officer
Government of India
Ministry of Labour & Employment (D.G.E.)
National Career Centre For
Scheduled Castes and Tribes, Ranchi
I.T.I. Campus, Hehal, Ranchi